55 of 2929 (1 day ago)

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–01
संख्या– /XVII(4)2022/5(57)/2013
देहरादून, दिनांक अक्टूबर, 2022

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''उत्तराखण्ड विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2012 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 6 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(5) अधिनियम की धारा 20 में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, किसी भी अन्य अधिनियम यथा (क) इण्डियन क्रिश्चियन मैरिज ऐक्ट, 1872; (ख) काज़ी ऐक्ट, 1880; (ग) पारसी मैरिज एंड डिवोर्स ऐक्ट, 1936; (घ) हिन्दु मैरिज ऐक्ट, 1955; (ड़) द स्पेशियल मैरिज ऐक्ट, 1954; (च) द फोरॅन मैरिज ऐक्ट, 1969 एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्त अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हुये विवाहों के ज्ञापन, जो कि उसके प्राप्त होंगे, को भी दिनांक के क्रमानुसार पृथक–पृथक अनुरक्षित रजिस्टर में फाईल करेगा।	(5) अधिनियम की धारा 20 में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, किसी भी अन्य अधिनियम यथा (क) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872; (ख) काज़ी अधिनियम, 1880; (ग) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936; (घ) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955; (ड़) विशेष विवाह अधिनियम, 1954; (च) विदेशी विवाह अधिनियम, 1969, **(छ) आनन्द विवाह अधिनियम 1909 (समय–समय पर संशोधित)** एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्त अधिनियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत विवाहों के ज्ञापन, जो कि उसको प्राप्त होंगे, को भी दिनांक के क्रमानुसार पृथक–पृथक अनुरक्षित रजिस्टर में फाईल करेगा।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no--------- XVII/2022-5(57)2013 ----- dated October, 2022.

Government of Uttarakhand

Women Empowerment & Child Development, Section-1

No- XVII(4)/2022/5(57)/2013

Dehradun, Dated: October, 2022

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 19 of the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010 (Uttarakhand Act No 19 of 2010), the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2012:-

The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage (Amendment) Rules, 2022

Short Title and Commencement	1.(1) These Rules may be called the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage (Amendment) Rules, 2022. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Rule 6	In rule 6 of the Uttarakhand compulsory Registration of marriage Rule 2012 for the existing subrule (5) as setout in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely

Column-1 **Existing subrule**	**Column -2** **subrule hereby substituted-**
(5)- Under the provisions of section 20 of the Act the registering officer shall file the compulsory registration of marriage under any other Act, namely-(a) Indian Christian Marriage Act, 1872; (b) Kazis Act, 1880; (c) Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; (d) The Hindu Marriage Act, 1955; (e) The Special Marriage Act, 1954; (f) The Foreign Marriage Act, 1969 and Marriage Memorandum registered under any other prevailing Act also in addition to above, in separate register maintained date wise.	(5)- Under the provisions of section 20 of the said Act the registering officer shall file the compulsory registration of marriage under any other Act, namely- (a) Indian Christian Marriage Act, 1872; (b) Kazis Act, 1880; (c) Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; (d) The Hindu Marriage Act, 1955; (e) The Special Marriage Act, 1954; (f) The Foreign Marriage Act, 1969; (g) The **Anand Marriage Act 1909** (As amended **from time to time**) and Marriage Memorandum registered under any other prevailing Act also in addition to above (which will be received by him), in separate register maintained date wise.

By Order

(Hari Chandra Semwal)
Secretary